संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 10 अक्टूबर, 2017

विषय:- **पदोन्नति पर मूल नियम-22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये तिथि का विकल्प।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को मूल नियम-23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम-22(बी)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहने संबंधी निर्देश शासनादेश संख्या-8/2017/जी-2-75/दस-2017-01 (वे0सं0)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा निर्गत किए गये है।

2- उक्त के संबंध में शासन को संदर्भित कतिपय प्रकरणों में शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्प के अंतर्गत वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत विकल्प को संशोधित किए जाने के बिन्दु पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-8/2017/ जी-2-75/दस-2017-01 (वे0सं0)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 के अंतर्गत संबंधित कार्मिक द्वारा वेतन निर्धारण का विकल्प पदोन्नति अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अंदर दिया जा सकेगा और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। जिन कार्मिकों द्वारा अपनी पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर शासनादेश दिनांक 07.06.2017 के अभाव में कोई विकल्प नहीं दिया गया है, वे इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प दे सकेंगे अथवा पूर्व में दिये गये विकल्प को संशोधित कर सकेंगे। शासनादेश दिनांक 07.06.2017 के निर्गत होने के पूर्व दिये गये विकल्प भी मान्य होंगे। शासनादेश दिनांक 07 जून, 2017 में उपलब्ध कराये गये विकल्प के अंतर्गत वेतन निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उदाहरण संलग्नक पर अवलोकनीय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम-22बी के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि का विकल्प दिया गया है, को आगामी वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जायेगी और उसके बाद यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी। इसी प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम-22बी के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि का विकल्प दिया गया है, को आगामी वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी और उसके बाद यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

5- दिनांक 01-01-2016 को सातवें वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित होने के पश्चात् यदि किसी कार्मिक द्वारा दिनांक 01-01-2016 से 06 माह पर दिनांक 01-07-2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त कर ली जाती है तो दिनांक 02 जनवरी, 2016 से दिनांक 01 जुलाई 2016 तक उसकी पदोन्नति होने अथवा ए0सी0पी0 के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर उसकी अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2017 को देय नहीं रह जायेगी। ऐसी स्थिति में उसे अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2017 को देय होगी।

भवदीय,
एम0पी0 अग्रवाल
सचिव।

संख्या-10/2017/ जी-2-190(1)/दस-2017-01(वे0सं0)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, (प्रथम/द्वितीय) ।
(2) प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
अर्जुन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017,</u>

<u>दिनांक 10 अक्टूबर,2017 का संलग्नक-1</u>

<u>उदाहरण:-1</u> किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व होने की <u>स्थिति में वेतन निर्धारणः</u>-

1- संबंधित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 2400 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल 4
2- प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10-03-2016
3- प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10-03-2016 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 में प्राप्त मूल वेतन रू0 28700
4- प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल- लेवल-5
5- प्रोन्नति की तिथि का विकल्प देने पर मूल नियम-22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतनवृद्धि लेवल 4 में दिए जाने के पश्चात् वेतन रू0 29600
6- लेवल 5 में रू0 29600 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 30100
7- प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10-03-2016 को लेवल-5 में संबंधित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 30100
8- कार्मिक की पदोन्नति दिनांक 02-01-2016 से दिनांक 01-07-2016 की अवधि में होने के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 22-12-2016 तथा दिनांक 07-06-2017 के अंतर्गत अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी 2017 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दिनांक 01 जनवरी 2018 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	**5200-20200**				
ग्रेड वेतन	**1800**	**1900**	**2000**	**2400**	**2800**
लेवल	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	**30100**
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	**28700**	32900
6	20900	23100	25200	**29600**	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017,</u>

<u>दिनांक 10 अक्टूबर,2017 का संलग्नक-2</u>

उदाहरण-2- किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व होने की स्थिति में वेतन निर्धारणः-

1- संबंधित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 2400 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल 4

2- प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10.03.2016

3- प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10.03.2016 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 में प्राप्त मूल वेतन रू0 28700.

4- प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल- लेवल-5

5- मूल नियम-22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अगली वेतनवृद्धि की तिथि दिनांक 01-07-2016 का विकल्प देने पर प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10.03.2016 को मूल नियम-22(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन-लेवल 5 में रू0 28700 की धनराशि से अगली कोष्टिका की धनराशि रू0 29200

यह वेतन दिनांक 10.03.2016 से दिनांक 30.06.2016 तक देय होगा।

6- वेतनवृद्धि की तिथि दिनांक 01.07.2016 को लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन रू0 29600.

7- प्रोन्नति पर मूल नियम-22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतनवृद्धि लेवल-4 में दिये जाने के पश्चात् वेतन रू0 30500

8- लेवल-5 में रू0 30500 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 31000

9- वेतनवृद्धि की तिथि दिनांक 01.07.2016 को लेवल-5 में संबंधित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 31000 ।

10- सातवें वेतन मैट्रिक्स में दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण होने के पश्चात् 06 माह पर दिनांक 01.07.2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त कर लिए जाने के कारण पदोन्नति के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2017 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	**5200-20200**				
ग्रेड वेतन	**1800**	**1900**	**2000**	**2400**	**2800**
लेवल	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	18000	19900	21700	25500	**29200**
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	**31000**
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	**28700**	32900
6	20900	23100	25200	**29600**	33900
7	21500	23800	26000	**30500**	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017,

दिनांक 10 अक्टूबर,2017 का संलग्नक-3

उदाहरण-3- किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 के पश्चात होने की स्थिति में वेतन निर्धारणः-

1- संबंधित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 2400 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल 4

2- प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01.07.2017

3- प्रोन्नति की तिथि के पूर्व दिनांक 30.06.2017 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 में प्राप्त मूल वेतन रू0 28700.

4-नियमित, वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात दिनांक 01.07.2017 को वेतन मैट्रिक्स लेबल-4 मे प्राप्त मूल वेतन-29600

5- प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल- लेवल-5

6- प्रोन्नति की तिथि का विकल्प देने पर मूल नियम-22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतनवृद्धि लेवल 4 में दिए जाने के पश्चात् वेतन रू0 30500

7- लेवल 5 में रू0 30500 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 31000.

8-प्रोन्नति की तिथि दिनांक01.07.2017 को लेवल-5 में संबंधित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 31000

9- कार्मिक की पदोन्नति दिनांक 02.01.2017 से दिनांक 01.07.2017 की अवधि में होने के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 22.12.2016 तथा दिनांक 07.06.2017 के अंतर्गत अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	**31000**
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	**28700**	32900
6	20900	23100	25200	**29600**	33900
7	21500	23800	26000	**30500**	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-10/2017/जी-2-190/दस-2017-01(वे0सं0)/2017,

दिनांक 10 अक्टूबर,2017 का संलग्नक-4

उदाहरण-4- किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 के पश्चात होने की स्थिति में वेतन निर्धारणः-

1- संबंधित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 2400 के तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल 4

2- प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01.05.2017

3- प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01-05-2017 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 में प्राप्त मूल वेतन रू0 28700.

4- प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल- लेवल-5

5- मूल नियम-22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अगली वेतनवृद्धि की तिथि दिनांक 01-07-2017 का विकल्प देने पर प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01-05-2017 को मूल नियम-22(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन-लेवल 5 में रू0 28700 की धनराशि से अगली कोष्टिका की धनराशि रू0 29200

यह वेतन दिनांक 01.05.2017 से दिनांक 30.06.2017 तक देय होगा।

6- वेतनवृद्धि की तिथि दिनांक 01.07.2017 को लेवल 4 में एक नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन रू0 29600.

7- प्रोन्नति पर मूल नियम-22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतनवृद्धि लेवल-4 में दिये जाने के पश्चात् वेतन रू0 30500

8- लेवल-5 में रू0 30500 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 31000

9- वेतनवृद्धि की तिथि दिनांक 01.07.2017 को लेवल-5 में संबंधित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 31000 ।

10- कार्मिक की पदोन्नति दिनांक 02.01.2017 से दिनांक 01.07.2017 की अवधि में होने के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 22.12.2016 तथा दिनांक 07.06.2017 के अंतर्गत अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 को अनुमन्य होगी।

वेतन बैण्ड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	**29200**
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	**31000**
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	**28700**	32900
6	20900	23100	25200	**29600**	33900
7	21500	23800	26000	**30500**	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।